न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, बीकानेर संभाग, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी सुनीता चौधरी, आर.ए.एस.

अपील संख्या : 2017/00031 (05/2017) एल.आर. एक्ट

छगनलाल सैनी पुत्र श्री स्व. आशाराम सैनी निवासी वार्ड नं. 2 तारानगर तहसील व जिला चूरू।

अपीलान्ट

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये नायब तहसीलदार तारानगर, जिला चूरू।
2. नौजा पत्नी स्व. आशाराम जाति माली निवासी वार्ड नं. 2 तारानगर जिला चूरू। **(मृत्यु होने पर आदेश दिनांक 28.08.2019 द्वारा नाम डिलीट किया गया)**
3. देऊ उर्फ देवकी पुत्री स्व. आशाराम पत्नी मोडुराम जाति सैनी निवासी छतरी के पास, सांत्यू बस स्टेण्ड के पास, तारानगर जिला चूरू।

रेस्पोडेन्ट्स

4. पूरखचन्द पुत्र श्री स्व. आशाराम सैनी निवासी वार्ड नं. 2 तारानगर तहसील व जिला चूरू।
5. मनोहरलाल पुत्र श्री स्व. आशाराम सैनी निवासी वार्ड नं. 2 तारानगर तहसील व जिला चूरू।

गौण रेस्पोडेन्ट

उपस्थितः 1. श्री द्वारका दास पारीक – अभिभाषक अपीलान्ट
2. श्री भीमसिह शेखावत – अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 3

निर्णय दिनांकः 03–03–2021

1. यह अपील भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 76 के अन्तर्गत अतिरिक्त जिला कलक्टर चूरू, के निर्णय दिनांक 19–03–2014 के विरूद्ध पेश हुई है।
2. अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय में अपीलान्ट ने इन्तकाल संख्या 2176 दिनांक 07.10.2011 खसरा नं. 974/402 के विरूद्ध प्रथम अपील पेश कर इनको निरस्त करने तथा वसीयत के आधार पर इन्तकाल दर्ज किये जाने का निवेदन किया। अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 19.03.2014 द्वारा अपीलान्ट

अति. संभागीय आयुक्त
बीकानेर

की अपील खारिज कर दी, जिसके विरूद्व अपीलान्ट द्वारा यह द्वितीय अपील पेश की गई है।

3. अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर, रेस्पोडेन्ट्स एवं अधीनस्थ न्यायालय का रिकॉर्ड तलब किया गया।

4. उभय पक्ष की बहस सुनी गई। अपीलान्ट के विद्वान अभिभाषक ने अपील मिमो के बिन्दुओं को दोहराते हुए बहस कर कंहा कि कृषि भूमि खेत खसरा नं. 974/402 तादादी 8 बीधा 16 बिस्वा, वाके रोही तारानगर में अपीलान्ट के पिता स्व. आशाराम के नाम राजस्व रिकार्ड में चली रही थी। उक्त कृषि भूमि आशाराम की स्वय अर्जित सम्पती थी। उक्त भूमि आशाराम ने जरिये रजिस्ट्रर्ड बैनामा खरीद की थी। स्व. आशाराम ने अपने जीवनकाल में ही दिनांक 25.02.2009 को उक्त कृषि भूमि की वसीयत अपीलान्ट के पक्ष में 1/3, 1/3, 1/3 की गई थी। स्व. आशाराम द्वारा की गई उक्त वसीयत प्रथम एवं अन्तिम थी। आशाराम की मृत्यु दिनांक 15.04.2009 को हो गई थी तथा उसी समय वसीयत लागू हो गई थी। अपीलान्ट ने वसीयत के आधार पर उक्त कृषि भूमि का इन्तकाल दर्ज किये जाने हेतु नायब तहसीलदार तारानगर को दिनांक 15.04.2011 को प्रार्थना पत्र पेश किया। उन्होने हल्का पटवारी से सर्म्पक करने का कहा, हल्का पटवारी ने कहा कि मीटिग में इन्तकाल दर्ज करवा दुगा। अपीलान्ट की बहिन देऊ ने भूमि क्रय विक्रय करने वाले व्यक्तियो से मिलकर इन्तकाल संख्या 2176 दिनांक 07.10.2011 गलत रूप से दर्ज करवा लिया। जबकि अपीलान्ट की बहिन जयकोरी ने एक रिलीजडीड भी अपीलान्ट के पक्ष में करवादी थी। नायब तहसीलदार तारानगर ने वसीयत का समुचित ढग से अवलोकन नही किया और सरसरी तौर पर विरासतन इन्तकाल दर्ज कर दिया गया। इन्तकाल संख्या 2176 दिनांक 07.10.2011 का पता चलने पर अपीलान्ट ने एक दावा उपखण्ड अधिकारी तारानगर के समक्ष पेश किया था। इसी दौरान देऊ ने गलत रूप से दर्ज करवाये गये इन्तकाल के आधार पर खसरा नं. 974/402 दिनांक 23.05.2012 को उक्त कृषि भूमि में से 1/6 हिस्सा हवाई विक्रय कर दिया। जबकि देऊ का उक्त कृषि भूमि पर कोई कब्जा नही रहा है। नायब तहसीलदार तारानगर द्वारा अपीलान्ट को सुनवाई का अवसर दिये बगैर तथा वसीयत पर गौर किये

अति. संभागीय आयुक्त
बीकानेर

बिना उक्त कृषि भूमि का विरासतन इन्तकाल संख्या 2176 दिनांक 07.10.2011 दर्ज किया गया। तहसीलदार तारानगर में अपीलान्ट के पक्ष में की गई वसीयत को नही मानने का कोई कारण पत्रावली पर मौजुद नही था। जगदीश प्रसाद सैनी जो कि भूमि क्रय विक्रय का कार्य करता है तथा हल्का पटवारी उसका सहयोगी है। उन्होने बहिन देऊ को गुमराह कर बिना प्रतिफल दिये ही दो बेनामे अमरसिह जाट व प्रहलाद सैनी के नाम करवा लिये। मौके पर कब्जा देऊ का कभी नही रहा है। अन्य मुकदमे में देऊ ने अपने बयानो में स्वीकार किया था कि मैने जमीन का कब्जा कागजो में दिया था। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट की अपील मात्र यह कहते हुए खारिज कर दी की नामान्तरण एक फिसकल प्रक्रिया है जबकि वास्तविकता यह है कि नामान्तरण फिसकल कार्यवाही नही है बल्कि एक मुख्य कार्यवाही है, क्योकि जब तक उक्त नामान्तरण खारिज नही किया जाता है तब तक अपीलान्ट के पक्ष में नामान्तरण दर्ज नही हो सकता। अतः अपीलान्ट की अपील स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय का आदेश दिनांक 19—03—2014 निरस्त किया जाकर तहसीलदार तारानगर द्वारा दर्ज इन्तकाल संख्या 2176 दिनांक 07.10.2011 निरस्त किया जावे तथा मुताबिक वसीयत के आधार पर इन्तकाल दर्ज किये जाने का आदेश फरमाया जावे।

5. रेस्पोडेन्ट संख्या 3 के विद्वान अभिभाषक ने बहस के दौरान कहा कि वारिसानो के नाम इन्तकाल दर्ज हुआ है जो सही है, अपीलान्ट ने काफी देरी से प्लान बनाकर गलत वसीयत पेश की, नामान्तरण के समय इनको पता था। वारिसानो के नाम इन्तकाल दर्ज करना गलत प्रक्रिया नही थी। अपीलान्ट ने विभिन्न न्यायालय में दावे कर रखे है, जो अभी विचाराधीन है। दावे में विस्तृत प्रक्रिया अनुसार वहा साक्ष्य पेश होगे तथा इनके राईट्स भी दावे में तय होगे। नामान्तरण केवल फिसकल कार्यवाही है। अतः अपीलान्ट की अपील खारिज की जावे।

6. हमने उभय पक्ष की बहस पर मनन करते हुवे उपलब्ध दस्तावेजात, एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन/ अध्ययन किया। न्यायालय का निर्णय इस प्रकार है।

अति.संभागीय आयुक्त
बीकानेर

1. प्रकरण में अपीलान्ट विवादित भूमि पर अपना हक जरिये वसीयत बताता है। इनका यह भी कथन है कि तहसीलदार को वारिसानो के नाम इन्तकाल दर्ज नही करना चाहिये था। वसीयत अनुसार इन्तकाल दर्ज करना चाहिये था।
2. रेस्पोडेन्ट ने वसीयत को फर्जी वताया है तथा वारिसानो के नाम इन्तकाल दर्ज को सही बताया है।
3. रेस्पोडेन्ट देव ने अपना हिस्सा विक्रय कर दिया, इसका भी वाद न्यायालय में विचाराधीन है।
4. नामान्तरणकरण दर्ज भूमि के सम्बन्ध में पक्षकारो के मध्य विभिन्न न्यायालय में वाद विचाराधीन है। वाद के विचाराधीन रहते विवादित भूमि मृतक के वारिसान के नाम दर्ज है। वसीयत सम्बन्धी प्रश्न विवादास्पद होने पर इस प्रश्न का विनिर्णय क्षेत्राधिकार सिविल न्यायालय को है। पक्षकारो के अधिकारो का निर्धारण न्यायालय द्वारा किया जाना है। न्यायालय के निर्णय अनुसार ही नामान्तकरण की कार्यवाही की जानी है। लिहाजा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय में हम इस स्थिति में उपरोक्त कारणों से कोई हस्तक्षेप करना उचित नही समझते है।

   अतः अपीलान्ट की अपील खारिज की जाती है। तथा सिविल न्यायालय के निर्णय तक उभय पक्ष इस विवादित भूमि को आगे रहन बैय अथवा हस्तान्तरण नही करेगें।

तदनुसार अपील निर्णित शुमार हो। पत्रावली बाद तरतीब, तकमील दाखिल दफ्तर रहे। निर्णय आज दिनांक 03–03–2021 को लिखवाया जाकर सुनाया गया।

3/3/21.

(सुनीता चौधरी)
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त,
बीकानेर